भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1235

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश

1235. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पीएम-किसान योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने के लिए अनुदान मांगों (2024-25) संबंधी अपने प्रतिवेदन में कृषि संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार कृषि मजदूरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि, किसान और खेत मजदूर कल्याण विभाग करने की सिफारिश पर विचार करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी, 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000/- की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ पूरे देश के किसानों तक बिना किसी बिचौलिये की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 18 किश्तों में ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की है।

वर्तमान में, इस योजना के लाभों को बढ़ाने और विभाग का नाम बदलने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****